

शर्तें—

1. आपको स्थल पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाना होगा।
2. आपको स्थल पर मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दिनांक 16.04.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. भवन के ढाचागत सुरक्षा व्यवस्था के सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
5. आपको किसी प्रकार का वाह्य लीकेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त करके करना होगा।
6. शासनादेश सं०— 570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 आ.व. दिनांक 03.02.2001 एवं शासनादेश सं०— 772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ०व०) दिनांक 13.02.2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
7. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्वता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्वता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
8. भवन निर्माण सामग्री अपने भूमि पर रखने हेतु शपथ पत्र दिया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
9. भू स्वामित्व एवं रास्ते से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम भी लगाना होगा।
11. बेसमेन्ट में वेंटीलेशन की व्यवस्था मानचित्र के अनुसार मैकेनिकल पद्धति पर करना होगा। विल्डिंग लाइन से बाहर बने बेसमेन्ट का स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेन्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार बनाना होगा।
12. इस शासनादेश सं०— 3338/आठ-1-11-80 विविध 2010 में निहित प्राविधान एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।

16/5/12
नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, बाराणसी।